भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा प्रकोष्ठ - लाइसेंसिंग समूह
714, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 16-3/2003-बीएस-II/खंड-VIII   दिनांक : 20 मार्च, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 में संशोधन

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित ब्योरे के अनुसार संशोधित किया गया है :-

(i) लेवल "90" और "96" सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के लिए अभिगम कोड के रूप में चिह्नित किए गए हैं और उनके लिए आवंटित किए जा सकते हैं।

(ii) लेवल "91" सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के लिए अभिगम कोड के रूप में चिह्नित किया गया है और यह भी उनके लिए आवंटित किया जा सकता है।

(iii) लेवल "090" में आवंटित आईएन सेवाओं को आईएन सेवा लेवल 1800 में अंतरित किया जाना है और यथोचित आवंटन किया जाएगा।

(iv) पेजिंग सेवाओं को यदि आवश्यकता हुई तो लेवल "8" में एक अभिगम कोड आवंटित किया जाएगा।

(राज कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति :-

1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
2. वरि0 उप महानिदेशक (टीईसी) खुर्शीदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (एएस-I)/(डीएस)/(सीएस)/(सुरक्षा), दूरसंचार विभाग।
4. उप महानिदेशक (समन्वय और प्रशासन) दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
5. निदेशक (एएस-IV)

राष्ट्रीय संख्यांकन योजना(2003)

6. सभी एकीकृत अभिगम/बुनियादी/सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रचालक
7. सीओएआई और एयूएसपीआई

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
719, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 16-3/2003-बीएस-II/खंड-VI/442 दिनांक : 07 मई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 का अनुशेष लेवल 95 का प्रयोग

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 पर निम्नलिखित अनुशेष जारी करने का निदेश हुआ है :

खंड 2.5.3
"95" का प्रयोग निम्नलिखित को डायल करने के लिए भी किया जा सकता है :

I. सेवा प्रदाता के लाइसेंस क्षेत्र के भीतर एक अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र से दूसरे अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए।
II. सेवा प्रदाता के लाइसेंस क्षेत्र के बाहर एक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र से दूसरे अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए बशर्ते इसके प्रशुल्क अंतरा अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र के अनुसार वही हों (स्थानीय कॉल प्रशुल्क)

अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(राज कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23036536

प्रति :-

1. सचिव, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
2. वरि0 उप महानिदेशक (टीईसी) खुर्शीदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (एएस)/(सीएस)/(डीएस)

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा प्रकोष्ठ - लाइसेंसिंग समूह
714, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 16-3/2003-बीएस-II/खंड-VIII/12 दिनांक : 14.01. 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नेशनल डू नॉट काल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री के लिए संक्षिप्त कोड के संबंध में राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 में संशोधन

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को नेशनल डू नॉट काल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री मे पंजीकरण करने के लिए संक्षिप्त कोड "1909" के आवंटन के लिए राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है। ब्योरा निम्नवत है :

नंबर/पहले लगाना है	*सेवाओं की किस्म*	*ढांचा*	*अभिगम्यता/टिप्पणियां*	*श्रेणी*
1909	एनडीएनसी में पंजीकरण	4-अंक	सीमा रहित/निशुल्क	I

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राज कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23036536

प्रति :-

1. सचिव दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
2. वरि0 उप महानिदेशक (टीईसी) खुर्शीदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (डीएस)/(सीएस), दूरसंचार विभाग।
4. निदेशक (वीएएस II/एएस IV)
5. सभी एकीकृत अभिगम/बेसिक/सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रचालक
6. सीओएआई और एयूएसपीआई
7. श्री एस0एस0 यादव, निदेशक (आईटी), दूरसंचार विभाग की वेबसाइट में डालने के अनुरोध के साथ

(राज कटारिया)

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
714, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 16-3/2003-बीएस-II/खंड-VI   दिनांक : 9 फरवरी, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अत्याधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को लेवल "106 एक्स" का आवंटन करने के संबंध में राष्ट्रीय संख्यांकन योजना-2003 में संशोधन

अतिरिक्त के रूप में उल्लिखित लेवल "106" का निम्नानुसार प्रयोग किया जाएगा :

नंबर/प्रारंभ में लगाने वाली संख्या	*सेवाओं की किस्म*	*ढांचा*	*अभिगम्यता*	*श्रेणी*
106 एक्स	अत्याधुनिक अस्पताल	4 अंकीय संख्या	सीमा रहित/मीटरयुक्त	I

नोट : "एक्स" दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित किया जाएगा।

यह दूरसंचार विभाग के दिनांक 03.06.2003 के समसंख्यक पत्र या इस बारे में जारी किए गए किसी अन्य आदेश के अधिक्रमण में है।

(राज कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति :-

1. सचिव दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
2. वरि0 उप महानिदेशक, खुर्शीदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (डीएस)/(एएस)/(सीएस)
4. सभी एकीकृत अभिगम/बुनियादी/सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रचालक

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा प्रकोष्ठ - लाइसेंसिंग समूह
714, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 16-3/2003-बीएस-II/खंड-IX/168 दिनांक : 11.04. 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जिला अधिकारी के नियंत्रण कक्ष के लिए संक्षिप्त कोड "1077" के लिए राष्ट्रीय संख्यांकन योजना 2003 में संशोधन

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को जिला अधिकारी के नियंत्रण कक्ष के लिए संक्षिप्त कोड "1077" के संबंध में राष्ट्रीय संख्यांकन योजना 2003 में संशोधन के बारे में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है। ब्योरा निम्नवत है :

नंबर/पहले लगाना है	*सेवाओं की किस्म*	*ढांचा*	*अभिगम्यता/टिप्पणियां*	*श्रेणी*
1077	जिला अधिकारी का नियंत्रण कक्ष	4-अंक	सीमा रहित/ मीटर रहित	I

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राज कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23036536

प्रति :-

1. सचिव, गृह मंत्रालय
2. सचिव दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (मुख्या0) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिनांक 04.02.2008 के पत्र के संबंध में।
4. वरि0 उप महानिदेशक (टीईसी) खुर्शीदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
5. उप महानिदेशक (एएस-I)/(डीएस)/(सीएस), दूरसंचार विभाग।
6. उप महानिदेशक (समन्वय और प्रशासन) दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
7. निदेशक (वीएएस II/एएस IV)
8. सभी एकीकृत अभिगम/बुनियादी/सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता
9. सीओएआई और एयूएसपीआई